न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 03 / 2017 दिनांक: 25/10/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाड़ेसरवाला ने रिपोर्ट (पी–14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल माधोसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत साकिन बाड़सरवाला ने चक 10 BHM के मुरब्बा नं0 25/16 25/15 के किला नं0 – रकबा 10.0 बीघा ....

राजकीय भूमि पर नाजायज कास्त कर अतिक्रमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल माधोसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपूत साकिन बाड़सरवाला चक 10 BHM मु0 नं0 25/16 25/15 कि0नं0 – ..... रकबा 10.0 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 2.0 का 50 गुणा रूपये 100/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner